प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
विशाल काम्प्लेक्स, 19—ए विधान सभा मार्ग,
उ0प्र0 लखनऊ।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

2057-75

पत्रांक—एस.पी.एम.यू./एन.एच.एम./आर.आई./को0चे0सं0कर्मी0मानदेय/15—16/23 दिनांक—**06 जुलाई 2015**

विषयः—नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत कोल्डचेन सुदृढ़ीकरण हेतु मण्डल एवं जनपद स्तर पर कार्यरत संविदा कर्मियों के मानदेय के सम्बन्ध में।

महोदय,

एन0एच0एम0 के पत्रांक एस0पी0एम0यू0/लेखा/2014—15/103(4) /5986—75 दिनांक 17.03.2015 के द्वारा एन0एच0एम0 के अंतर्गत वर्ष 2014—15 में संचालित महत्वपूर्ण गतिविधियों को वर्ष 2015—16 में अनवरत संचालित किये जाने के सम्बन्ध में जनपदों को दिशा निर्देश निर्गत किये जा चुके हैं।

वर्ष 2015—16 हेतु भारत सरकार को प्रेषित पी0आई0पी0 के अनुमोदन की प्रत्याश में इस वर्ष भी सम्बन्धित गतिविधियां सुनिश्चित की जानी हैं। मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन के उपरान्त संलग्न जनपदवार फॉट के अनुसार नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत कोल्डचेन सुदृढ़ीकरण हेतु मण्डल एवं जनपद स्तर पर कार्यरत संविदा कर्मियों के मानदेय हेतु वित्तीय वर्ष 2015—16 के प्रथम त्रैमास (अप्रैल—जून 2015) हेतु धनराशि राज्य स्वास्थ्य समिति से दिनांक **29.06.2015** को जिला स्वास्थ्य समितियों के खाते में मद संख्या **A.8.1.7.7** में ₹ 5270760.00 (रूपया बावन लाख सत्तर सात सौ साठ मात्र) की धनराशि अवमुक्त कर दी गयी है।

1.	**कोल्डचेन हैण्डलर्स (मण्डल स्तर पर)—**	18
2.	**कोल्डचेन हैण्डलर्स (जनपद स्तर पर)—**	75
3.	**टेक्नीशियन 'रेफ्रिजरेटर मैकेनिक' (मण्डल स्तर पर)—**	09
4.	**टेक्नीशियन रेफ्रिजरेटर मैकेनिक (जनपद स्तर पर)—**	12
5.	**वैक्सीन स्टोर कीपर (मण्डल स्तर पर)—**	09
6.	**वैक्सीन वैन चालक (मण्डल स्तर पर)—**	08

- **कोल्डचेन हैण्डलर्स (मण्डल स्तर पर)—** 18 मण्डल पर एक—एक कुल 18 कोल्डचेन हैण्डलर्स हेतु ₹ 10890/— प्रति माह की दर से कुल 03 माह हेतु मानदेय ₹ 588060.00 की धनराशि अवमुक्त की गई है।
- **कोल्डचेन हैण्डलर्स (जनपद स्तर पर)—** कोल्डचेन हैण्डलर्स जनपद स्तर पर कुल 75 कोल्डचेन हैण्डलर्स हेतु प्रति ₹ 10890/— की दर से 03 माह हेतु कुल ₹ 2450250.00 की धनराशि अवमुक्त की गई है।
- **टेक्नीशियन रेफ्रिजरेटर मैकेनिक (मण्डल स्तर पर)—** कुल 9 मण्डलों पर एक—एक टेक्नीशियन 'रेफ्रिजरेटर मैकेनिक' हेतु ₹ 18150/— प्रति माह की दर से 03 माह हेतु कुल ₹ 490050.00 धनराशि अवमुक्त की गई है।
- **टेक्नीशियन रेफ्रिजरेटर मैकेनिक (जनपद स्तर पर)—** टेक्नीशियन 'रेफ्रिजरेटर मैकेनिक जनपद स्तर पर कुल 12 टेक्नीशियन रेफ्रिजरेटर हेतु ₹ 18150/— प्रतिमाह की दर से 03 माह हेतु ₹ 653400.00 की धनराशि अवमुक्त की गई है।
- **वैक्सीन स्टोर कीपर (मण्डल स्तर पर)—** 9 मण्डल पर एक—एक कुल 09 वैक्सीन स्टोर कीपर हेतु ₹ 24200/— प्रतिमाह की दर से कुल 03 माह हेतु ₹ 653400.00 की धनराशि अवमुक्त की गई है।
- **वैक्सीन वैन चालक (मण्डल स्तर पर)—**वैक्सीन वैन चालक मण्डल स्तर पर कुल 08 प्रति चालक ₹ 18150/—की दर से 03 माह हेतु कुल ₹ 435600.00 की धनराशि अवमुक्त की गई है।

कृपया इसे संज्ञान में लेते हुये अपने—अपने जनपद के जिला प्रतिरक्षण अधिकारियों को अवगत करायें तथा मण्डल स्तर/जनपद स्तर पर कार्यरत संविदा कर्मियों को मानदेय उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। साथ ही उपयोग किये गये धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र संयुक्त निदेशक (आर0आई0), प0क0, राज्य कोल्ड चेन अधिकारी, प0क0 महानिदेशालय एवं एन0एच0एम0 कार्यालय को शीघ्रातिशीघ्र प्रेषित करने का कष्ट करें।

उक्त धनराशियों का व्यय "आपरेशनल गाइडलाइन्स फार फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट" में दी गयी व्यवस्था तथा अन्य प्रभावी संगत नियमों एवं निर्देशों का पालन करते हुये सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त करके ही किया जाय। निम्न निर्देशों का अनिवार्यतः पालन सुनिश्चित करें।

1. धनराशि का आवंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नही करता, अपितु ऑपरेशनल गाइडलाइन फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेन्ट में दी गयी व्यवस्था, वित्तीय नियमों, शासनादेशों, अन्य प्रभावी नियमो/निर्देशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए, सक्षम प्राधिकारों की स्वीकृति के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जाय। जिस कार्यक्रम/मद में धनराशि आवंटित की गयी है उसी सीमा तक व्यय नियमानुसार किया जाये।
2. स्वीकृत मद का पुर्निविनियोग (re-appopriation) राज्य कार्यकारी समिति, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश की अनुमति के बिना कदापि न किया जाये। साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित किया जाये कि एक कार्यक्रम की धनराशि दूसरे कार्यक्रमों में स्थानान्तरित न की जाये। धनराशि के व्यय में यदि कोई अनियमितता होती है तो इसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।
3. जिला स्वास्थ्य समित एवं समस्त इकाइयों के वित्तीय अभिलेख कैशबुक, बैंक बुक, लेजर, चैक इश्यू रजिस्टर, स्थायी सम्पत्तियों का रजिस्टर आदि लेखापुस्तकों में सभी प्रविष्टियाँ समय से पूर्ण कराये साथ ही समयानुसार सत्यापन भी सक्षम अधिकारी करना सुनिश्चित करें।
4. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाइयों के बैंक समाधान विवरण प्रत्येक माह के अन्त में तैयार करना सुनिश्चित करायें जिससे बैंक खातों तथा सोसाइटी एवं समस्त इकाइयों के लेखों में कोई भिन्नता न रहें।
5. आपके स्तर से समस्त इकाइयों को अग्रिम के रूप में अवमुक्त की गयी धनराशियों के उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त करते हुए अपनी लेखापुस्तकों में समायोजन दर्शाना सुनिश्चित करें।
6. प्रत्येक माह का मासिक व्यय विवरण (एफ0एम0आर0) लेखापुस्तकों की प्रविष्टियों से मिलान कर तैयार किया जाये तथा यह भी सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक माह की एफ0एम0आर0 में दर्शायी गयी धनराशि एवं लेखापुस्तकों में प्रविष्टि की गयी धनराशि में मदवार कोई अन्तर न रहें।
7. व्यय से सम्बन्धित समस्त लेखाबहियाँ, बिल बाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखें एवं नियुक्ति मासिक कान्करेन्ट आडिटर, स्टेटच्यूरी आडिटर, महालेखाकार की आडिट एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
8. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये आपरेशनल गाइडलाइन्स फार फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट (अद्यावधिक संशोधित) में दिये गये दिशा निर्देशों एवं प्रक्रिया का पालन समस्त स्तरों पर किया जाना सुनिश्चित करें।
9. भारत के नियंत्रक/महालेखा परीक्षा द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश, के परफारमेन्स आडिट रिपोर्ट में उठाई गयी मुख्य आपत्तियों के परिप्रेक्ष्य में मुख्य सचिव, महोदय उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशों के अन्तर्गत गठित समिति की दिनांक 01.06.2012 को सम्पन्न हुई बैठक में समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों की प्रति पत्र संख्या SPMU/NRHM/ACCOUNT/490–8 दिनांक 13.06.2012 के द्वारा करायी गयी है, को संज्ञान में लेना सुनिश्चित करें।

<u>संलग्नक–जनपदवार बजट शीट</u>

भवदीय,

(डा0 वेद प्रकाश)
महाप्रबन्धक, आर0आई0

पत्रांक–एस.पी.एम.यू./एन.एच.एम./आर.आई./को0चे0सं0कर्मी0 मानदेय/15–16/23 तद्दिनांक

प्रतिलिपि–

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. अपर मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. महानिदेशक, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. वित्त नियंत्रक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. राज्य कोल्डचेन अधिकारी, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8. अपर निदेशक, यू.आई.पी./संयुक्त निदेशक (आर0आई), परिवार कल्याण महानिदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
9. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उ0प्र0 का सूचनार्थ प्रेषित।
10. समस्त जिला प्रतिरक्षण अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
11. समस्त मण्डलीय/जनपदीय कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।

(डा0 वेद प्रकाश)
महाप्रबन्धक, आर0आई0

	FMR CODE-A.8.1.7.7 Proposed budget for contractual manpower under RI and cold chain RCH flexipool April to June 2015 (2015-16)													
	Contractual Manpower for RI & cold chain for district level					Contractual Manpower for RI & cold chain for Regional & divisional level								Total amount to be released (in Rs) for 3 month (2015-16)
S.No	District	Head				Head								
		Refrigrator mechanic		Cold chain handlers		Vccine store keeper		Refrigrator mechanic		Vaccine van driver		Cold chain handlers		
		Sanction Post	Budget @Rs 18150/- per month	Sanction Post	Budget @Rs 10890/- per month	Sanction Post	Budget @Rs 24200/- per month	Sanction Post	Budget @Rs 18150/- per month	Sanction Post	Budget @Rs 18150/- per month	Sanction Post	Budget @Rs 10890/- per month	
1	Agra			1	32670					1	54450	1	32670	119790
2	Aligarh			1	32670	1	72600	1	54450			1	32670	192390
3	Allahabad			1	32670							1	32670	65340
4	Ambedkarnagar			1	32670									32670
5	Auraiya			1	32670									32670
6	Azamgarh			1	32670	1	72600	1	54450			1	32670	192390
7	Baghpat			1	32670									32670
8	Bahraich			1	32670									32670
9	Ballia			1	32670									32670
10	Balrampur			1	32670									32670
11	Banda			1	32670	1	72600	1	54450			1	32670	192390
12	Barabanki			1	32670									32670
13	Bareilly			1	32670					1	54450	1	32670	119790
14	Basti			1	32670	1	72600	1	54450			1	32670	192390
15	Bijnor			1	32670									32670
16	Badaun			1	32670									32670
17	Bulandsahar			1	32670									32670
18	Chandauli	1	54450	1	32670									87120
19	Amethi			1	32670									32670
20	Chitrakoot			1	32670									32670
21	Deoria			1	32670									32670
22	Etah			1	32670									32670
23	Etawah			1	32670									32670
24	Faizabad			1	32670					1	54450	1	32670	119790
25	Farrukhabad			1	32670									32670
26	Fatehpur			1	32670									32670
27	Firozabad			1	32670									32670
28	G B Nagar	1	54450	1	32670									87120
29	Gaziabad			1	32670									32670

S.No	FMR CODE-A.8.1.7.7 Proposed budget for contractual manpower under RI and cold chain RCH flexipool April to June 2015 (2015-16)													
	Contractual Manpower for RI & cold chain for district level					Contractual Manpower for RI & cold chain for Regional & divisional level								Total amount to be released (in Rs) for 3 month (2015-16)
	District	Head				Head								
		Refrigrator mechanic		Cold chain handlers		Vccine store keeper		Refrigrator mechanic		Vaccine van driver		Cold chain handlers		
		Sanction Post	Budget @Rs 18150/- per month	Sanction Post	Budget @Rs 10890/- per month	Sanction Post	Budget @Rs 24200/- per month	Sanction Post	Budget @Rs 18150/- per month	Sanction Post	Budget @Rs 18150/- per month	Sanction Post	Budget @Rs 10890/- per month	
30	Hapur			1	32670									32670
31	Ghazipur	1	54450	1	32670									87120
32	Gonda			1	32670	1	72600	1	54450			1	32670	192390
33	Gorakhpur			1	32670					1	54450	1	32670	119790
34	Hamirpur	1	54450	1	32670									87120
35	Hardoi			1	32670									32670
49	Hathras	1	54450	1	32670									87120
36	J P Nagar			1	32670									32670
37	Jalaun			1	32670									32670
38	Jaunpur			1	32670									32670
39	Jhansi	1	54450	1	32670							1	32670	119790
40	Kannauj			1	32670									32670
41	Kanpur Dehat			1	32670									32670
42	Kanpur Nagar			1	32670			1	54450	1	54450	1	32670	174240
43	Kasganj	1	54450	1	32670									87120
44	Kaushambi	1	54450	1	32670									87120
45	Kushinagar			1	32670									32670
46	Kheri			1	32670									32670
47	Lalitpur			1	32670									32670
48	Lucknow			1	32670	1	72600			1	54450	1	32670	192390
50	Maharajganj	1	54450	1	32670									87120
51	Mahoba			1	32670									32670
52	Mainpuri			1	32670									32670
53	Mathura			1	32670									32670
54	Mau			1	32670									32670
55	Meerut			1	32670					1	54450	1	32670	119790
56	Mirzapur			1	32670	1	72600	1	54450			1	32670	192390
57	Moradabad			1	32670	1	72600	1	54450			1	32670	192390
58	Sambhal			1	32670									32670

	FMR CODE-A.8.1.7.7 Proposed budget for contractual manpower under RI and cold chain RCH flexipool April to June 2015 (2015-16)													
	Contractual Manpower for RI & cold chain for district level					Contractual Manpower for RI & cold chain for Regional & divisional level								**Total amount to be released (in Rs) for 3 month (2015-16)**
S.No	**District**	**Head**				**Head**								
		Refrigrator mechanic		**Cold chain handlers**		**Vccine store keeper**		**Refrigrator mechanic**		**Vaccine van driver**		**Cold chain handlers**		
		Sanction Post	Budget @Rs 18150/- per month	Sanction Post	Budget @Rs 10890/- per month	Sanction Post	Budget @Rs 24200/- per month	Sanction Post	Budget @Rs 18150/- per month	Sanction Post	Budget @Rs 18150/- per month	Sanction Post	Budget @Rs 10890/- per month	
59	Shamli			1	32670									32670
60	Muzaffarnagar			1	32670									32670
61	Pilibhit	1	54450	1	32670									87120
62	Pratapgarh			1	32670									32670
63	Raebareilly			1	32670									32670
64	Rampur			1	32670									32670
65	Santkabir Nagar			1	32670									32670
66	Saharanpur			1	32670	1	72600	1	54450			1	32670	192390
67	Bhadohi	1	54450	1	32670									87120
68	Shahjahanpur			1	32670									32670
69	Siddharthnagar			1	32670									32670
70	Sitapur			1	32670									32670
71	Sonebhadra			1	32670									32670
72	Shrawasti	1	54450	1	32670									87120
73	Sultanpur			1	32670									32670
74	Unnao			1	32670									32670
75	Varanasi			1	32670					1	54450	1	32670	119790
	Total	**12**	**653400**	**75**	2450250	**9**	653400	**9**	490050	**8**	435600	**18**	**588060**	**5270760**